

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

-::: आदेश:::-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

File No.:ESTB-102/442/2025-FOOD/2 ::: राज्य शासन, एतद्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित खाद्य निरीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थानान्तरण करते हुए पदस्थ करता है: -

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	सुश्री शुभा गुप्ता खाद्य निरीक्षक	कोरिया	रायपुर	स्वयं के व्यय पर
2	श्री राजेश विश्वास खाद्य निरीक्षक	कांकेर	कोरिया	प्रशासनिक
3	श्री संतोष कुमार कंवर खाद्य निरीक्षक	बलरामपुर	कोरबा	स्वयं के व्यय पर
4	सुश्री श्वेता दीवान खाद्य निरीक्षक	खाद्य संचालनालय रायपुर	धमतरी	स्वयं के व्यय पर
5	सुश्री प्रेरणा पोटाई खाद्य निरीक्षक	बस्तर	संचालनालय	स्वयं के व्यय पर
6	श्री सुरेन्द्र कुमार लांझी खाद्य निरीक्षक	कोरबा	बस्तर	प्रशासनिक
7	श्री शैलेन्द्र कुमार ध्रुव खाद्य निरीक्षक	कांकेर	जांजगीर चांपा	स्वयं के व्यय पर

2/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

3/ उक्तानुसार स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2024/एक/6, दिनांक 25.11.2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

4/ स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025 की कंडिका-3.16 के निर्देशानुसार यदि स्थानान्तरित खाद्य निरीक्षकों के द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की

स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त माना जायेगा।
(माननीय भारसाधक मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
BHAGWAT JAISWAL

Date: 25-06-2025 (भागवत जायसवाल)
16:15:50 उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

क्रमशः2

//2//

पृ0 File No.:ESTB-102/442/2025-FOOD/2 , नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) ई-मेल आईडी बह.हंक.6/बहणहवअण्पद की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
4. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)
5. संभागीय आयुक्त - ----- (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला ----- (छ.ग.)।
7. कोषालय अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.) की ओर उक्त स्थानांतरित खाद्य निरीक्षकों का नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त मानते हुए उक्त दिवस पश्चात् आगामी माह का वेतन आहरण उनके स्थानांतरित नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् देय होगा।
8. खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.)।
9. सर्वश्री -----
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
10. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
AMITOSH JOHN
Date: 25-06-2025

16:22:49
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

खद्य नगरक आपूर्तल एवं उड. संर.वलडरग

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

-::: आदेश:::-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

File No.:ESTB-102/442/2025-FOOD :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थानान्तरण करते हुए पदस्थ करता है: -

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्री अनुराग सिंह भदौरिया खाद्य नियंत्रक	बिलासपुर	दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
2	श्री खुमेश्वर सिंह खाद्य अधिकारी	रायगढ़	सक्ती	स्वयं के व्यय पर
3	श्री चितरंजन सिंह प्रभारी खाद्य अधिकारी	सारंगढ़- बिलाईगढ़	रायगढ़	स्वयं के व्यय पर

2/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

3/ उक्तानुसार स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2024/एक/6, दिनांक 25.11.2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

4/ स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025 की कंडिका-3.16 के निर्देशानुसार यदि स्थानान्तरित खाद्य अधिकारियों के द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त माना जायेगा।

(माननीय भारसाधक मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
 BHAGWAT JAISWAL
 Date: 25-06-2025 16:14:13
 (भगवत जायसवाल)
 उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

क्रमशः2

//2//

पृ0 File No.:ESTB-102/442/2025-FOOD , नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) ई-मेल आईडी बह.हंक.6/बहणहवअण्पद की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
4. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)
5. संभागीय आयुक्त - ----- (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला ----- (छ.ग.)।
7. कोषालय अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.) की ओर उक्त स्थानांतरित खाद्य अधिकारियों का नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त मानते हुए उक्त दिवस पश्चात् आगामी माह का वेतन आहरण उनके स्थानांतरित नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् देय होगा।
8. खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.)।
9. सर्वश्री -----
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
10. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
AMITOSH JOHN
Date: 25-06-2025
16:21:10

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
-:: आदेश ::-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

File No.:ESTB-102/442/2025-FOOD/3 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित खाद्य निरीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थानान्तरण करते हुए पदस्थ करता है: -

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्रीमती दीपा वर्मा, खाद्य निरीक्षक	दंतेवाड़ा	राजनांदगांव	स्वयं के व्यय पर
2	श्रीमती प्रीति चौबे खाद्य निरीक्षक	बिलासपुर	दंतेवाड़ा	प्रशासनिक

2/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

3/ उक्तानुसार स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2024/एक/6, दिनांक 25.11.2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

4/ स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025 की कंडिका-3.16 के निर्देशानुसार यदि स्थानान्तरित खाद्य अधिकारियों के द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त माना जायेगा।

(माननीय भारसाधक मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
BHAGWAT JAISWAL

Date: 25-06-2025

16:13:26

(भगवत जायसवाल)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

क्रमशः2

//2//

पृ0 File No.:ESTB-102/442/2025-FOOD/3 , नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) ई-मेल आईडी की ओर सूचनार्थ।

3. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
4. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)
5. संभागीय आयुक्त - ----- (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला ----- (छ.ग.)।
7. कोषालय अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.) की ओर उक्त स्थानांतरित खाद्य निरीक्षकों का नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त मानते हुए उक्त दिवस पश्चात् आगामी माह का वेतन आहरण उनके स्थानांतरित नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् देय होगा।
8. खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.)।
9. सर्वश्री -----
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
10. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
AMITOSH JOHN
Date: 25-06-2025
16:19:55

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

-::: आदेश:::-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

File No.:ESTB-102/442/2025-FOOD/1 ::: राज्य शासन, एतद्द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित सहायक खाद्य अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थानांतरण करते हुए पदस्थ करता है: -

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शशि सिंह सहायक खाद्य अधिकारी	बालोद	दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
2	श्री सुरेश वैद्य सहायक खाद्य अधिकारी	रायगढ़	राजनांदगांव	स्वयं के व्यय पर
3	श्री मदनमोहन साहू सहायक खाद्य अधिकारी	गरियाबंद	कबीरधाम	स्वयं के व्यय पर
4	श्री जागेश्वर राम भगत सहायक खाद्य अधिकारी	सरगुजा	गरियाबंद	स्वयं के व्यय पर

2/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

3/ उक्तानुसार स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2024/एक/6, दिनांक 25.11.2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

4/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की कंडिका-3.16 के निर्देशानुसार यदि स्थानांतरित सहायक खाद्य अधिकारियों के द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त माना जायेगा।

(माननीय भारसाधक मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
BHAGWAT JAISWAL
Date: 25-06-2025
16:15:18

(भागवत जायसवाल)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

क्रमशः2

//2//

पृ0 File No.:ESTB-102/442/2025-FOOD/1 , नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) ई-मेल आईडी बह.हंक.6/बहणहवअण्पद की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
4. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)
5. संभागीय आयुक्त - ----- (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला ----- (छ.ग.)।
7. कोषालय अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.) की ओर उक्त स्थानांतरित सहायक खाद्य अधिकारियों का नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त मानते हुए उक्त दिवस पश्चात् आगामी माह का वेतन आहरण उनके स्थानांतरित नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् देय होगा।
8. खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.)।
9. सर्वश्री -----
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
10. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by

AMITOSH JOHN

Date: 25-06-2025

16:19:00

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

-::: आदेश:::-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

File No.: ESTB-102/149/2025-FOOD :: राज्य शासन, एतद्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित खाद्य नियंत्रक को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से (पूर्व में किए गए पदोन्नति उपरांत पदस्थापना) तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है: -

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री अमृत कुजुर , खाद्य नियंत्रक	सक्ती	बिलासपुर	पदोन्नति उपरांत

2/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

3/ उक्तानुसार नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2024/एक/6, दिनांक 25.11.2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(माननीय भारसाधक मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
BHAGWAT JAISWAL
Date: 25-06-2025 16:17:34
(**भगवत जायसवाल**)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

क्रमशः2

//2//

पृ० File No.:ESTB-102/442/2025-FOOD/3 , नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) ई-मेल आईडी की ओर सूचनार्थ।
 3. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
 4. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)
 5. संभागीय आयुक्त - ----- (छ.ग.)।
 6. कलेक्टर, जिला ----- (छ.ग.)।
 7. कोषालय अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.) की ओर
 8. खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.)।
 9. सर्वश्री -----
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
10. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग

Digitally signed by
AMITOSH JOHN
Date: 25-06-2025
16:26:14

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर-००००००
आदेश:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

File No.:ESTB-102/444/2025-FOOD :- राज्य शासन, एतद्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत विधिक मापविज्ञान में कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक, सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थानान्तरण करते हुए पदस्थ करता है: -

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रीमार्क
1	2	3	4	5
1	श्रीमती ओमेश्वरी जागड़े निरीक्षक	दुर्ग	रायपुर	स्वयं के व्यय पर
2	श्रीमती करुणा गौतम निरीक्षक	रायपुर	दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
3	श्री दिवाकर ठावरे सहायक ग्रेड-2	सरगुजा	बिलासपुर	स्वयं के व्यय पर
4	श्री अंचित भौमिक सहायक ग्रेड-3	रायगढ़	मुंगेली	प्रशासनिक
5	श्री सुमन सिंह पैकरा सहायक ग्रेड-3	बिलासपुर	सरगुजा	प्रशासनिक

2/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

3/ उक्तानुसार स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2024/एक/6, दिनांक 25.11.2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

4/ स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025 की कंडिका-3.16 के निर्देशानुसार यदि स्थानान्तरित निरीक्षक, सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 के द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त माना जायेगा।

(माननीय भारसाधक मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
BHAGWAT JAISWAL (भागवत जायसवाल)

Date: 25-06-2025

16:36:03

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

पृ0File No.:ESTB-102/444/2025-FOOD , नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) ई-मेल आईडी cg-gad-6@cg.gov.in की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।
4. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)
5. संभागीय आयुक्त - ----- (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला ----- (छ.ग.)।
7. कोषालय अधिकारी, जिला ----- (छ.ग.) की ओर उक्त स्थानांतरित निरीक्षक, सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 का नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में दिनांक 05 जुलाई, 2025 के पश्चात् एकतरफा भारमुक्त मानते हुए उक्त दिवस पश्चात् आगामी माह का वेतन आहरण उनके स्थानांतरित नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् देय होगा।
8. सर्वश्री -----
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
9. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
AMITOSH JOHN
Date: 25-06-2025
16:45:42

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग